न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

राजस्व वाद संख्या :- 52/2018

वादीगण:-

1. श्यामसिंह पुत्र गायडसिंह
2. सुरेन्द्रसिंह पुत्र गायडसिंह जातियान राजपूत निवासीगण बरना तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण:-

1. गोपसिंह पुत्र गायडसिंह
2. महीपालसिंह पुत्र गोविन्दसिंह
3. करणसिंह पुत्र गोविन्दसिंह
4. भंवरकंवर पत्नी गोविन्दसिंह
5. प्रभुसिंह पुत्र गायडसिंह सभी जातियान राजपूत निवासीगण बरना तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
6. यूको बैंक शाखा खारिया मीठापुर तहसील बिलाडा
7. विजया बैंक शाखा बिलाडा
8. एस.बी.आई शाखा बिलाडा
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति:- वादीगण - श्री गणपत लाल चौधरी एडवोकेट।

प्रतिवादी सं.1से5- श्री लक्ष्मणराम राठौड व राजेन्द्र प्रसाद बोराणा एडवोकेट।

प्रतिवादी सं. 6 से 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

प्रतिवादी सं. 9- सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक :-** 5/2/25

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बरना तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नंबर 197 रकबा 21बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 198 रकबा 4 बीघा, खसरा नम्बर 199 रकबा 7 बीधा, खसरा नम्बर 201 रकबा 24 बीघा 04 विस्वा, खसरा नम्बर 202 रकबा 4 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 219 रकबा 16 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 501 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा कुल खसरा 7 कुल रकबा 83 बीघा 08 बिस्वा आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी 1/5 हिस्सा वादी संख्या 1 का तथा 1/5 हिस्सा वादी संख्या 2 का तथा 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का तथा 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का तथा 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 का है। इस प्रकार यह भूमि पक्षकारों की सयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। विवादग्रस्त भूमि सयुक्त खातेदारी की होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा वादीगण के हक व हिस्से की भूमि में काश्त करने में दखल करने से पक्षकारों में विवाद रहता है इस कारण वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को तहसील में चलकर आपसी सहमति से बंटवाड़ा करने के लिए कहा, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 से 5 इसके लिए तैयार नही हुये तो वादीगण अपने 1/5-1/5 हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा कर अलग से वादीगण की खातेदारी में दर्ज कराने के लिए यह दावा पेश करना पड रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 वादीगण को उनके हिस्से की भूमि पर काश्त करने में अड़चने पैदा कर रहे है, इस कारण वादीगण को अपने हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा कर अलग से खातेदारी में दर्ज की गयी भूमि में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखल पैदा नहीं करने के लिए

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को पाबन्द करने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा के लिए दावा पेश करना पड़ रहा है। अन्त में दावा पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बरना तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 197 रकबा 21 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 198 रकबा 4 बीघा, खसरा नम्बर 199 रकबा 7 बीघा, खसरा नम्बर 201 रकबा 24 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 202 रकबा 4 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 219 रकबा 16 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 501 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा कुल खसरा 7 कुल रकबा 83 बीघा 08 बिस्वा का बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स बंटवाडा किया जाकर वादी संख्या 1 का 1/5 व० हिस्सा (यानि 16 बीघा 13.6 बिस्वांशी) तथा वादी संख्या 2 का 1/5 व० हिस्सा (यानि 16 बीघा 13.6 बिस्वांशी) की भूमि अलग से वादीगण की अलग-अलग खातेदारी में दर्ज करने का आदेश फरमावे । प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो वादीगण के बंट एवं हिस्से की भूमि में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल करे तथा न अन्य किसी से करावे ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण का दावा दिनांक 07.12.2021 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम बरना तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 197 रकबा 21 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 198 रकबा 4 बीघा, खसरा नम्बर 199 रकबा 7 बीघा, खसरा नम्बर 201 रकबा 24 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 202 रकबा 4 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 219 रकबा 16 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 501 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा कुल खसरा 7 कुल रकबा 83 बीघा 08 बिस्वा में वादी संख्या 1 का 1/5 वां हिस्सा तथा वादी संख्या 2 का 1/5 वां हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 1 का 1/5 वां हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 2 से 4 का 1/5 वां हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 5 का 1/5 वां हिस्सा की भूमि का राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जाकर भूमि का बंटवाडा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा ने बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है

क्र.सं.	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर	रकबा
1	करणसिंह पुत्र गोविन्दसिंह, महीपालसिंह पुत्र गोविन्दसिंह, भंवरकंवर पत्नि गोविन्दसिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदार	201 219	1.2907 0.5126
	कुल योग	2	1.8033
2	भवानीसिह पुत्र गोपसिंह, गजेन्द्रसिह पुत्र गोपसिंह, आनन्दकंवर पत्नि गोपसिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदार	219 197 501	0.5126 1.9466 0.4045
	कुल योग	3	2.8637
3	प्रभुसिह पुत्र गायडसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार	197 198 199 219 501	0.8226 0.6472 0.4977 0.5125 0.2023
	कुल योग	5	2.6823
4	श्यामसिह पुत्र गायडसिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार	201 202 219 501	1.4402 0.5064 0.5126 0.2022
	कुल योग	4	2.6614

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

5	सुरेन्द्रसिंह पुत्र गायडसिंह जाति राजपूत खातेदार	201 197 202 219 501	1.1523 0.6246 0.1489 0.5125 0.2023
	कुल योग	5	2.6407
6	संतोष कंवर पत्नि हनुमानसिंह जाति राजपूत सा.देह खातेदार	199	0.6349
	कुल योग	1	0.6349
7	करणसिह पुत्र गोविन्दसिंह वगै. जाति राजपूत सा.देह खातेदार	197 201	0.0930 0.0324
	कुल योग	2	0.1254
8	शामलाती	219	0.0825

उक्त सारणी के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा दिनांक 18.11.2024 के अनुसार बंट में रखी गयी। बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 18.11.2024 के अनुसार वादीगण के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 18.11.2024 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 5/2/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादीगण :-
श्यामसिंह

बनाम

प्रतिवादीगण
गोपसिंह

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट
राजस्व वाद संख्या :- 52/2018

निर्णय **दिनांक :-** 5/2/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपत लाल चौधरी अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 5 श्री लक्ष्मणराम राठौड अधिवक्ता, श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा अधिवक्ता, प्रतिवादी सं.6 से 8 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही, तथा प्रतिवादी संख्या 9 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 18.11.2024 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह -सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक -की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
हुक्मनामा					
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
			मीजान		
मीजान					

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा